File No.9-9099/285/2023- -9-

RF960/नौ-9-23

संख्या- 92/2023/ /001-E-1762213

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
अयोध्या ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 01 दिसम्बर, 2023**

विषय:- वितीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या -37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1229/न0नि0अयो0/ 23, दिनांक- 19.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम, अयोध्या में वर्ष 2023-24 मे प्रस्तावित आगामी कार्यक्रम के दृष्टिगत विभिन्न् सडको के निर्माण कार्यो को कराये जाने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत धनराशि रू0 **1993.97** लाख स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। **नगर निगम, अयोध्या हेतु कुल धनराशि रू0 1993.97 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ तिरानवे लाख सन्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किशत की धनराशि रू0 697.89 लाख (रू0 छ: करोड़ सन्तानवे लाख नवासी हजार मात्र)** पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(अनुदान संख्या- 37) (धनराशि रू0 लाख में)

निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि
नगर निगम अयोध्या जनपद-अयोध्या	1 अशोक सिंघल वार्ड में दीनबन्धु नेत्र चिकित्सालय से श्री चंद्र यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	60.87		
	2. अभिराम दास वार्ड के मो0 मीरापुर बुलन्दी में कटरा पुलिस चौकी से परिक्रमा मार्ग एवं संलग्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	97.75		
	3. देवकाली वार्ड के मो0 गोलाबाजार में बाबादीन पेन्टर के मकान के सियाराम किला तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.14		
	4. देवकाली वार्ड के मो0 गोलाबाजार में अभिषेक मिश्रा के मकान के सामने सुधीर शुक्ला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	26.34		
	5. सीताकुण्ड वार्ड के मो0 सीताकुण्ड में अजय यादव के मकान से ओम पाण्डेय के मकान एवं आचारी जी के मकान से रवि वर्मा के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.57		
	6. सीताकुण्ड वार्ड के मो0 जयसिंगपुर में विपिन गुप्ता के मकान से अनिल महाराज जी के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.45		
	7. सीताकुण्ड वार्ड के मो0 विघाकुण्ड में अंजनी प्रसाद दूबे के मकान से सुन्दर अतिथि निवास एवं के0जी0 दूबे के मकान से लालेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	27.74		
	8. सीताकुण्ड वार्ड के मो0 राधेमोहन पुरम में ज्योतिषाचार्य महाराज रामानन्द जी के मकान से राकेश वर्मा के मकान से रवि मिश्रा के मकान होते हुए विमला हाता से विद्याकुण्ड मेन रोड तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	37.60		
	9. अवैधनाथ वार्ड के मो0 दरगाही बगिया में सुशीला सदन से ब्रजमोहन मौर्या के मकान से विजय कुमार पाण्डेय एवं उर्मिला देवी के मकान होते हुए वैष्णों देवी नर्सिंग होम से	110.28		

	उत्सव गार्डेन तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।			
	10. दर्शन नगर वार्ड सूरजनाथ के मकान से गणेश मौर्या के मकान होते हुए महावीर के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	40.51		
	11. दर्शन नगर वार्ड मे धनश्याम तिवारी के मकान से हरदेव बाबा चौरी से होते हुए सोमई चौधरी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	57.86		
	12. हनुमानकुण्ड वार्ड में बड़ी छावनी गेट से परिक्रमा मार्ग तक दोनो तरफ सी0सी0 साइड पटरी का निर्माण कार्य।	77.24		
	13. देवकाली वार्ड के मो0 हनुमान टेकरी मार्ग पर सरयू कुन्ज मंदिर से रमा शंकर गुप्ता के मकान एवं अवधेश मिश्रा के मकान से लीला देवी के मकान होते हुए श्याम सुन्दर दास के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.90		
	14. दशरथ कुण्ड वार्ड के मो0 आसिफबाग मे रामू के मकान से हृदयराम के मकान होते हुए संतोष श्रीवास्तव के मकान से राजेश के मकान एवं पारस यादव के मकान से सौरभ श्रीवास्तव के मकान होते हुए संतोष कुमार के मकान तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	75.35		
	15. लक्ष्मणघाट वार्ड के मो0 नयाघाट में रामलला निवास से अयोध्या प्रसाद मिश्रा के मकान एवं रामसजीवन पाण्डेय के मकान होते हुए रमेश मिश्रा के मकान से नागेश्वरनाथ मंदिर गेट तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.11		
	16. अशोक सिंघल नगर वार्ड के नयाघाट पुलिस चौकी से संत तुलसीदास घाट तक दोनो तरफ सी0सी0 साइड पटरी एवं नाली निर्माण कार्य।	29.69		
	17. वशिष्ठ कुण्ड वार्ड में मो0 चक्रतीर्थ मे मदन यादव के मकान से मोचीन के मकान एवं जुगनू सोनकर के मकान से रामबाबू क मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	51.54		
	18. वशिष्ठ कुण्ड वार्ड के मो0 कैथाना मे महेन्द्र सोनी के मकान से रामबरन पाण्डेय के मकान एवं राजेन्द्र पाण्डेय के मकान से विजय पाण्डेय के मकान होते हुए रामचरन यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क एव नाली निर्माण कार्य।	69.35		
	19. रामचंद्र परमहंस वार्ड के मो0 कौशलेन्द्र विहार में अन्जीन भवन से श्री त्रिपुरीनाथ	81.38		

	श्रीवास्तव के मकान होते हुए बेजु गुप्ता के मकान एवं चिन्तामणि पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।			
	20. अशोक सिंघल वार्ड के मो0 रामघाट में किरन एजेन्सी से फटिक शिला होते हुए सुनील कुमार के मकान से सुरेश कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	129.99		
	21. दीपोत्सव एवं प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत सीमेन्ट, सी-सैण्ड राविस बालू ईट, गिट्टी क्रांसिग एवं पैच निर्माण कार्य।	39.83		
	22. अभिराम दास मार्ग वार्ड के मो0 राजघाट कालोनी में लाल रत्नेश प्रताप सिंह के मकान से अजय कुमार मकान होते हुए अनन्यापूर्णा गुप्ता के मकान एवं विक्रांत सिंह के मकान से शकुन्तला देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	32.07		
	23. हनुमानगढ़ी चौराहे से दिगम्बर अखाड़ा, तुलसी स्मारक, तापसी जी छावी होते हुए रामघाट चौराहा तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण व साइड पटरी का कार्य।	33.81		
	24. जैन मंदिर के आगे तिराहे से दन्त धवन कुण्ड होते हुए रामपथ तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली व साइड पटरी का कार्य।	55.27		
	25. तपसी जी छावनी से बड़ा भक्तमाल होते हुए जैन मंदिर के आगे तिराहे तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली एवं साइड पटरी का कार्य।	86.03		
	26. अमावा मंदिर से रामकोट बैरियर होते हुए दशरथ महल एवं कनक भवन के सामने से अम्मा जी की रसोई तक नाली व पत्थर लगाने का कार्य।	23.10		
	27. सीताकुण्ड वार्ड के मो0 अरण्यपुरम कालोनी में हनुमत एजेन्सी से अनिल गुप्ता के मकान एवं राकेश पाण्डेय के मकान से अखण्ड प्रताप के मकान, जितेन्द्र त्रिपाठी के मकान से सुशीला देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	58.80		
	28. राम की पैड़ी पर गांधी आश्रम से नयाघाट पम्प हाउस तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	133.43		
	29. राम की पैडी पर आरती घाट से लता मंगेशकर चौक तक स्टोन पिचिंग एवं सी0सी0 का कार्य।	257.67		
	30. राम की पैड़ी पर एवं रामकथा पार्क में रेड सैण्ड स्टोन का कार्य।	22.18		
	31. तुलसीदास घाट के पास स्थित रचनात्मक शौचालय के पीछे ढलावघर एवं रैम्प का	5.08		

	कार्य। 32. अयोध्या आरती घाट पर पत्थर लगाने का कार्य। 33. चौधरी चरण सिह घाट से पुराने पुल तक बन्धे पर पत्थर लगाने का कार्य।	121.57 20.47		
	योग	1993.97	1993.97	697.89

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बिन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किंया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्याय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्ती य नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड क-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यय· वस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्ति कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या - 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) नियमानुसार समस्तक आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्ता करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) पायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यह सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभ्यन्ता नगर निगम का होगा ।

(13) निष्प्रियोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।

(15) प्रस्ताववित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च , 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या - 10/2023/ बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर , 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31.03.2024 तक की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(19) लोक निर्माण विभाग से यह सत्यापन करा लिया जाए कि आगणन में सम्मलित सडको की लम्बाई एवं चौडाई/ एस्टीमेट एसओआर के अनुरूप हैं।

(20) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये नगर आयुक्त/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(21) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(22) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(23) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,97,89,000 (रुपये छह करोड सत्तानवे लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 6215021910500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0 ओ0 संख्या - E-9-335-X-2023-24-दिनांक: 01-12-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

RF960/नौ-9-23

संख्या- 92/2023/ ^ /001-E-1762213, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, नगर निगम, अयोध्या।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-01/12/2023

प्रेषण संख्या:- 92
आवंटन आदेश संख्या:- 001-92-2023-RF960-9-9-23-001-E-1762213
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	69789000 116693000	69789000 116693000
	योग	वर्तमान प्रगामी	69789000 116693000	69789000 116693000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: करोड़ सत्तानवे लाख नवासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ छियासठ लाख तिरानवे हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव